लय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू
(आपूर्ति शाखा)

निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री दाल–भात योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पलामू जिला अन्तर्गत अवस्थित शहरी क्षेत्र के लिए 5 (पाँच), नगर पंचायत क्षेत्र के लिए 1 (एक) एवं प्रखंडवार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 16 (सोलह) कुल 22 (बाईस) दाल–भात केन्द्रों पर केन्द्र संचालकों को परिवहन–सह–हथालन सहित बाजार समिति द्वारा निर्धारित मूल्य चावल (उसना) 1900.00रू0 प्रति क्विंटल, चना 5000.00रू0 प्रति क्विंटल एवं सोयावड़ी 5500.00रू0 प्रति क्विंटल की दर से आपूर्ति करने के इच्छुक बाजार समिति से संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा हेतु निम्नलिखित अहर्त्ता होना आवश्यक है :–

1. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''तकनीकी बीड'' लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (अग्रधन राशि का ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 सहित) एवं बैंक गारंटी एवं उसे मुहरबन्द करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
2. दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''वित्तीय बीड'' अंकित करेंगे। उस लिफाफे में केवल दर अंकित करेंगे और उसे लिफाफा में डालकर उसे मुहरबन्द करेंगे। उस लिफाफा में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायेगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
3. ''तकनीकी बीड'' एवं ''वित्तीय बीड'' दोनों मुहरबन्द लिफाफे को एक साथ एक तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को मुहरबन्द करेंगे। लिफाफा पर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त, पलामू के पदनाम से निविदा डालेंगे।
4. अग्रधन की राशि 50,000.00 (पच्चास हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उपायुक्त, पलामू के नाम से भुगतेय होगा।
5. 2,50,00.00 (दो लाख पच्चास हजार) रूपये का बैंक गारन्टी प्रमाण–पत्र उपायुक्त, पलामू के नाम से होना आवश्यक है। बैंक गारन्टी निविदा तिथि से न्यूनतम एक वर्ष का होना आवश्यक है।
6. निविदादाता का आवासीय प्रमाण–पत्र अनुमंडल स्तर से बना हुआ होना आवश्यक है।
7. निविदादाता का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण –पत्र होना आवश्यक है। चरित्र प्रमाण–पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से 06 (छः) माह के अन्दर का होना आवश्यक है।
8. निविदादाता की दो अभिप्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर का नमूना निविदा भरने के समय संलग्न होना आवश्यक है।
9. निविदादाता का आयकर रिटर्न की विगत तीन वर्षो की प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।
10. निविदा पत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। निविदा–पत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर नहीं होने पर उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदादाता का व्यवसाय स्थल पलामू जिला अन्तर्गत होना चाहिए।
12. चावल, चना एवं सोयावड़ी की आपूर्ति पलामू जिला अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के केन्द्र तक परिवहन–सह–हथालन सहित करना अनिवार्य होगा।

13. चावल, चना एवं सोयावड़ी उच्च गुणवता की होनी चाहिए। गुणवता के संबंध में निविदा समिति का निर्णय अन्तिम होगा एवं निम्न गुणवता वाले निविदादाता को वित्तीय बीड में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा। सभी सामग्रियों का नमूना सील्ड पारदर्शी फलास्क/बोतल में लाना होगा, जिसपर निविदादाता का नाम एवं पता चिपका होना चाहिए। आपूर्तिकर्ता के रूप में चयनित होने के उपरान्त इससे भिन्न सामग्री की आपूर्ति केन्द्रों द्वारा स्वीकार नहीं किया जायगा।
14. प्रत्येक माह चावल, चना एवं सोयावड़ी की आपूर्ति का सील्ड बन्द नमूना प्रत्येक केन्द्र पर सुरक्षित रखना होगा, जिससे की गुणवता की जांच की जायगी।
15. कृषि उपज पर बाजार शुल्क भुगतान से संबंधित कागजात (यदि लागू है)।

निविदा पत्र जिला आपूर्ति कार्यालय, पलामू से 1000.00 (एक हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। ड्राफ्ट उपायुक्त, पलामू के नाम से भुगतेय होना चाहिए। इस राशि को वापस नहीं किया जायेगा। निविदादाता को बगैर कारण बताये निविदा को रद्द करने/स्थगित करने/समय में परिवर्तन करने/दर वार्ता करने/एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य वितरण करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा दो सील लिफाफों "तकनीकी बीड" एवं "वित्तीय बीड" में अलग–अलग कर दोनों लिफाफे को अन्य एक बड़े लिफाफे में अपना नाम एवं पूरा पता अंकित करते हुए दिनांक 06.04.2016 को अपराह्न 02.00 बजे तक जिला आपूर्ति शाखा, पलामू के कार्यालय में रखे बन्द डब्बे/बक्सा में दिया जा सकता है। उपायुक्त, पलामू की अध्यक्षता में निविदा समिति के समक्ष उसी दिन 04.00 बजे अपराह्न में उपायुक्त, पलामू के कार्यालय वेश्म में खोला जायेगा। उस दौरान निविदादाता उपस्थित रह सकते हैं। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होती है, तो अगले दिन निविदा खोलने की तिथि निर्धारित होगी।

निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचना पटट् एवं झारखंड सरकार के बेवसाईट www.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

उपायुक्त,
पलामू।